

Prof. N. Ram  
Assistant Professor  
DEPT of Economics  
R.B.G.R college/maharajgarh

T.D.C Part I Economics (Hons)  
Paper II Indian Economy  
Module 3 New Economic Reforms  
नवीन आर्थिक सुधार

Topic - आर्थिक सुधारों अथवा नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषताएँ  
(Main Features of Economic Reforms or New Economic Policy)

आर्थिक सुधारों के अन्तर्गत नब्बे के दशक में लाइसेंस कोटा एवं परमिट राज को उद्दारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। आर्थिक सुधारों के लिए कई उपाय अपनाये गये लेकिन यहाँ हम इन्हीं सुधारों का जिक्र विस्तार पूर्वक क्रमानुसार करेंगे।

- (I) उद्दारीकरण (Liberalisation)
- (II) निजीकरण (Privatisation)
- (III) वैश्वीकरण (Globalisation)
- (IV) अन्य उपाय (Other measures)

### (I) उद्दारीकरण (Liberalisation)

यदि सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं पर प्रतिबंध (Restriction) लगाती है तो हम कह सकते हैं कि वह प्रतिबंध की नीति (Policy of Restriction) अपना रही है। दूसरी ओर सरकार यदि कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है तो हम कहते हैं कि वह मुक्त अथवा स्वतंत्र व्यापार की नीति (Policy of Liberalisation) अपना रही है। लेकिन कोई भी अर्थव्यवस्था कभी भी प्रतिबंधों से स्वतंत्र नहीं होती।

जब इन प्रतिबंधों में से कुछ अवांछित प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया जाता है अथवा उनमें ढील दे दी जाती है तो कहा जाता है कि सरकार उद्दारीकरण की नीति (Policy of Liberalisation) अपना रही है। इस प्रकार उद्दारीकरण का मतलब व्यापार एवं उद्योगों को अवांछित सरकारी नियंत्रणों एवं पाबंदियों से मुक्त करना है। Liberalisation means liberating the trade and industry from unwanted government controls and restrictions। आर्थिक सुधारों के अन्तर्गत 1991 ई. से सरकार ने उद्दारीकरण की नीति अपनायी है।

उद्दारीकरण की नीति में मुख्यतः दो बातें आती हैं:-

- (i) निजी क्षेत्र को उन उद्योगों को चलाने की अनुमति देना जो केवल पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित (Reserved) थे।
  - (ii) निजी क्षेत्र के लिए बनाये गये नियमों निर्देशों में ढील देना।
- ऐसा महसूस किया गया कि 1991 के पूर्व हम औद्योगिक क्षेत्र में निम्नलिखित उपायों द्वारा औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार पर आवश्यकता से अधिक प्रतिबंध लगा रहे थे।:-

- (i) उत्पादन पर भौतिक नियंत्रण (Physical control) द्वारा
- (ii) विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत मूल्यों पर प्रतिबंध (Price restrictions) द्वारा
- (iii) बड़े औद्योगिक घरानों के निवेशों के स्तर (Level of investment) को प्रतिबन्धित करके
- (iv) वित्तीय संस्थानों द्वारा साख की राशियों (Rationing of credit) करके
- (v) शेयरों और तहज पत्रों (Shares and debentures) पर नियंत्रण द्वारा
- (vi) विदेशी निवेशों एवं तकनीक पर रोक द्वारा
- (vii) आयात लाइसेंस देकर तथा
- (viii) उद्योग एवं उसमें कार्यरत श्रमिकों के वर्गीकरण पर प्रतिबंध द्वारा ।

इन प्रतिबंधों द्वारा यह ओर तो निजी प्रेरणा एवं उद्यम (Initiative and enterprise) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था तथा दूसरी ओर बाजार की प्रतियोगिता भी समाप्त हो रही थी। यह विचार भी व्यक्त किया गया कि बड़े बड़े उद्योगपति नौकरशाही से तालमेल बैठकाकर इन सभी प्रतिबंधों को चला बत सकते हैं। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और यह नतीजा विकास (Development) के हित में होगा और न सामाजिक न्याय (Social justice) के हित में इन्हीं परिस्थितियों में उदारीकरण पर आधारित आर्थिक सुधारों की घोषणा की गई ।

### उदारीकरण के लिए किये गये उपाय

#### (Measures Taken for Liberalisation)

उदारीकरण के लिए किये गये उपायों को हम निम्नलिखित चार श्रेणियों में बांट सकते हैं :-

- (A) औद्योगिक क्षेत्र में सुधार (Industrial sector Reforms)
- (B) वित्तीय क्षेत्र में सुधार (Financial sector Reforms)
- (C) कर सुधार (Tax Reforms) तथा
- (D) विदेशी व्यापार के सुधार (Foreign Trade Reforms) ।

(A) औद्योगिक क्षेत्र के सुधार (Industrial sector Reforms) :- औद्योगिक क्षेत्र में निम्नलिखित सुधार किये गये हैं।

(1) नई औद्योगिक नीति की घोषणा (Declaration of New Industrial Policy) आर्थिक सुधारों के घोषणा के साथ ही सरकार ने 24 जुलाई 1991 को नयी औद्योगिक नीति में राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को देखते महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी परिवर्तन किये गये। यह नीति भ्रष्टाचालीन औद्योगिक नीतियों की तुलना में अधिक खुली हुई एवं उदार है जिसमें सभी प्रकार के नियंत्रणों को समाप्त करने तथा अधिकार कानून के अन्तर्गत पूँजी की सीमा समाप्त करने, 51 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी निवेश की अनुमति देने तथा सामाजिक महत्व के चन्द आवश्यक उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस प्रणाली समाप्त करने का प्रावधान है। इस नयी औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन में शक्ति करना, रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन करना



तथा आत्म निर्भरता (Self reliance) प्राप्त करना है। इस नीति में सरकारी नियंत्रणों को कम से कम करने का प्रयास किया गया ताकि उद्योगों को खुले वातावरण में पनपने का मौका मिले।

(ii) उद्योगों को लाइसेंसिंग से छुट (Exemption of industries from licensing) प्रारंभ में 18 वस्तुओं के उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को उनकी स्थापना के लिए लाइसेंसिंग से छुट दे दी गई। बाद में अठारह उद्योगों को धराश्रय केवल 6 उद्योग कर दिये गये जिनके लिए लाइसेंसिंग अनिवार्य दिया गया था उद्योग निम्न प्रकार है।

- (a) अल्कोहलिक पेय (Alcoholic drinks)
- (b) सिगरेट (Cigarettes)
- (c) रक्षा उपकरण (Defence equipments)
- (d) जोखिम वाले रासायन (Hazardous chemicals)
- (e) औद्योगिक विस्फोटक (Industrial explosive) तथा
- (f) औषधि तथा औषधि निर्माण (Drugs and pharmaceuticals)

(iii) सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन (Contraction of public sector) केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या को 17 से घटाकर तीन (आणविक खनन, अणु भक्ति, रेल परिवहन) कर दिया गया है।

(iv) MRTP अधिनियम से छुट (Concession from MRTP Act) वैसी MRTP कंपनियां को जिनकी सम्पत्ति 100 करोड़ से अधिक है सरकार की स्वीकृति लिए बिना अपने आकार में विस्तार करने की छुट दे दी गई है।

(v) छोटे उद्योगों की निवेश सीमा में हद (Raising of investment limit of - small industries) :- छोटे उद्योगों के निवेश सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया ताकि वे अपना आधुनिकीकरण कर सकें।

(vi) मशीनरी एवं कच्चे पदार्थों का मुक्त आयात (Free import of machinery - and Raw material) :- उद्योगों को अब खुले बाजार में विदेशी मुद्रा (Foreign exchange) खरीदने की अनुमति दे दी गई है ताकि वे अपनी आवश्यकता अनुसार मशीनरी एवं कच्चे पदार्थों का आयात कर उत्पादन कुशलता में हद कर प्रतियोगिता का सामना कर सकें।

(B) वित्तीय क्षेत्र के सुधार (Financial sector Reforms) :- रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों पर लगाये गये नियंत्रणों में ढील दी गई। ऊँचे रिजर्व बैंक की निगरानी एवं उत्तरदायित्व के अन्तर्गत व्याज की दरों को निश्चित करने तथा साख्य देने (Credit disbursements) की स्वतंत्रता दी गई। निजी क्षेत्र में भारतीय एवं विदेशी बैंकों की स्थापना की अनुमति देकर बैंकों क्षेत्र (Banking sector) में प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया गया।

(C) कर सुधार (Tax Reforms) :- यह महसूस किया गया कि आय कर

मानव संसाधन विकास

की उंची दरें बचत एवं आय के स्वैच्छापूर्वक प्रकटीकरण (voluntary disclosure) में बाधा होती है। अतः आय कर की दरों में कमी की गई तथा बचत एवं आय के स्वैच्छापूर्वक प्रकटीकरण के लिए कुछ श्रावधान किये गये। 1991 से निगम कर (corporation tax) में निरंतर कमी की जा रही है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (central excise duty) में भी कमी की गई है तथा इसके स्थान पर central value Added tax (CENVAT) लगाया गया है।

(D) विदेशी व्यापार के सुधार (Foreign Trade Reforms):— विदेशी व्यापार के क्षेत्र में निम्नलिखित सुधार किये गये।—

- (i) निर्यात पर उद्योगों के विकास के लिए आयात करों में कमी की गई।
- (ii) व्यापार बाध (trade difficulties) को कम करने के लिए निर्यात प्रोत्साहन के कई कदम उठाये गये।
- (iii) अप्रैल 2001 से उत्पादित उपभोग्य वस्तुओं तथा कृषि उत्पादों के आयात पर से परिणामक प्रतिबंध (quantitative restriction) पूर्णतः हटा दिये गये।
- (iv) भारतीय वस्तुओं को विश्व बाजार में प्रतियोगी बनाने के लिये कई वस्तुओं पर निर्यात कर कम कर दिया गया अथवा हटा दिया गया।
- (v) व्यापार संतुलन (Trade Balance) में सुधार करने के कारण विदेशी विनिमय सम्बन्धी नियंत्रण (foreign exchange controls) में ढील दी गई।
- (vi) FERA Act को विदेशी विनिमय के आगमन एवं बहिर्गमन (Inflow and outflow) के लिये अधिक कड़ा माना जाता था। अतः इसके स्थान पर Foreign Exchange Management Act (FEMA) लाया गया जो अधिक उदार था।

—End—

N. Ram